FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

खण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

नानूराम ..... बनाम ..... सूरजा राम वगैरह .....

..... मु. नं. 185 ..... सन् 2012 .....

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
राजस्व लोक अदालत आमंत्रण न्याय आपके द्वार वर्ष–2018 श्रीमान संयुक्त शासन सचिव [illegible] (पु-1) [illegible] जयपु. व पत्रांक प 12 (15) राज–1/2016 [illegible] को पालन एवं प्रमाण जिला कलक्टर [illegible] प्रदेश की पालना में [illegible] 6-8-18 [illegible] हाजर आज पेश हुई। उक्त [illegible] में पत्रावली लोक अदालत में सुनवाई हेतु रखी जाना है। उक्त लोक अदालत/फैमिली कोर्ट स्थल-अटल सेवा केन्द्र— [illegible] में दिनांक 2-5-18 को पत्रावली पेश हो। उक्त निर्धारित दिनांक एवं स्थान पर उपस्थित होने हेतु सम्बन्धित पक्षकारान को नोटिस जारी हो। ओ.	
न्याय आपके द्वार अभियान - 2018	नानूराम
02/5/18 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी उपस्थित। अपीलार्थी ने वाद डिक्री किये जाने बाबत सहीनामा प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अनुसार प्रार्थी के धारा 392, 393, 394, 395, 396 बिना 5 रकबा 3-बीघे में से चन्द्रा पिता किशना ने 24.12.2002 को 1/12 हिस्सा जमीन सहोदर विपक्षीगण के जरीये पत्र। वर्तमान में विक्रेता फौत हो चुका है एवं अपना एकमात्र वारिस- ओ.	सिरजा राम

Scanned by CamScanner

भोपुराम बनाम सुरजा वगैरह

मु० नं० 185/2012

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

आई सुरजा पुत्र मिशना है।

उभय पक्षकारान ने मुकदमे पेश की रिपोर्ट में आलोक में स्पष्ट है कि ग्राम मजरा के खसरा 392, 393, 394, 395, 396 के 0.67 है, 0.52 है, 0.58 है, 0.52, 0.71 है किस्म सरवा 3.00 है में नतीजा में चन्डा पुत्र सुरजा के 0.50 है जातेदारी 1/6 हिस्से में अंकित है।

अब नतीजतन चन्डा पुत्र सुरजा को चन्डा सुरजा पुत्रगण मिशना घोषित किया जाता है।

उपरोक्त विवेचना चन्डा पुत्र मिशना के सारे विवरण अनुसार ग्राम मजरा के खसरा नं० 392, 393, 394, 395, 396 किस्म सरवा 3.00 है में से चन्डा पुत्र मिशना 1/12 हिस्से का वादी की जातेदारी करार घोषित किया जाता है।

उभय पक्षीगण सुरजापुत्र मिशना से नालिशी निर्धारण के पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के हुकूक आराजात के 1/12 हिस्से में दखलदाजी न करे। डिक्री पत्र जारी हो।

पत्रावली फैसल शुदा हेतु नकल के बाद दाखिल दफ्तर रहे।

निर्णय आज दिनांक 02/5/18 को RLA, NAOA-2012 ऑनलाइन मुकदमे में सुनाया गया।

(शंकर लाल)